पत्रांकः–7/न0वि0आ0/आवंटन–09/2017 232/

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(आवास प्रभाग)

TSP

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 15/08/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को राज्य योजना मद से जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत सहजानन्द चौक, हरमू, राँची में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु कुल राशि रु० 2,00,00,000/–(दो करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक–1197 दिनांक–25.07.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को राज्य योजना मद से जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत सहजानन्द चौक, हरमू, राँची में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु कुल राशि रु० 2,00,00,000/– (दो करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–6216–आवास के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–02–शहरी आवास, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–08– सहजानन्द चौक, हरमू, राँची में व्यवसायिक परिसर का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–63–ऋण एवं अग्रिम अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के योजना आय–व्ययक से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–57S621602796080763 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा से उक्त राषि की निकासी कर झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के PL खाते में हस्तांतरित करेंगे।

5. कर्ज/ऋण राशि पर 13 प्रतिशत सूद सामान्य देय होगा।

6. मूल एवं सूद की राशि ऋण निकासी से तीन वर्ष बाद 15 वार्षिक बराबर किस्तों में देय होगा।

7. मूल एवं सूद का ससमय भुगतान करने पर 2.5 (दो दशमलव पाँच) प्रतिशत की सूद की छूट दी जाएगी।

8. सूद की शर्तें भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तनशील हो सकती है।

9. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन मान्य नहीं होगा।

10. विगत वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष (2015–16) में उक्त मद में निकासी की गई राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है :–

स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
स्वी०सं०–01/21.05.2017	350.00 लाख	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा चालान सं0–J/54903771 दिनांक–17.11.2017 द्वारा समस्त राशि कोषागार में प्रत्यार्पित कर दी गई है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत

Munni/D/Manish Sh/Housing-45

पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

12. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

15. प्रबंध निदेषक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा कि उक्त योजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त DPR के अनुसार कार्यान्वयन नियमानुसार खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाए एवं मासिक भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

अतः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि कर्ज के रूप में रु० 2,00,00,000/– (दो करोड़ रुपये) मात्र का प्राधिकार पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 13.1.18

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–7/न0वि0आ0/आवंटन–09/2017 232/ राँची, दिनांक– 15/01/18

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव, झारखंड/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग के आप्त सचिव/आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एंव आवास विभाग, झारखण्ड/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एंव आवास विभाग, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/परियोजना निदेशक (प्रशासन) जुडको लि०, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री कुणाल, आई.टी. विशेषज्ञ, विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को online आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

Munni/D/Manish Sir/Housing-46